



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रीय" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय
देवरिया

ई-नीलामी
बिक्री सूचना

[नियम 8(6)]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के तहत के अधीन अचल परिसंपत्तियों के बिक्री की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा सामान्य और आम जनता तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जमानतदार/रों / बंधककर्ता/ओं को नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति प्रत्याभूत लेनदार को बंधक/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसकी बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "जो भी वहां है" तथा बिना किसी दायित्व के आधार पर की जायेगी। सम्बन्धित सम्पत्तियों के विवरण के समक्ष आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी प्रदर्शित है। ई-नीलामी बैंक द्वारा अनुमोदित सेवाप्रदाता ई-नीलामी एजेंसी की वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया www.centralbankofindia.co.in या <https://baanknet.com> में दिए गए लिंक को देखें।

ई-नीलामी की तिथि व समय : 29.08.2026, अपराह्न 2:00 से सायं 04:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित समय सहित)
ई.एम.डी. की राशि वॉलेट में जमा करने की तिथि व समय : 28.08.2026, अपराह्न 2:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता और जमानतदार का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि/ बिड मूल्य
1.	शाखा : सिकन्दरपुर ऋणी: 1. मनोज कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय श्रीराम यादव, पता: एकैल टंडवा, तहसील-बस्ती, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश। 2. सरोज यादव पत्नी मनोज कुमार यादव, पता: एकैल टंडवा, तहसील- बस्ती, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश	सम्पत्ति का समस्त भाग व खण्ड, प्लॉट (सीमांकित) और उस पर बने निर्माण स्थित मौजा- चक सबूत, परगना- सिकंदरपुर पूर्वी, तहसील- सिकंदरपुर, प्लॉट नं./खसरा नं. 22 मी., कुल क्षेत्रफल- 84.75 वर्ग मीटर। संपत्ति स्वामिनी- श्रीमती सरोज यादव पत्नी मनोज कुमार यादव। चौहद्दी: पूरब- छट्ठू प्रसाद का मकान, पश्चिम- सड़क, उत्तर- विक्रेता की जमीन, दक्षिण- ओमप्रकाश की जमीन	रु. 21,51,893.17 + ब्याज और अन्य शुल्क - वसूली, यदि कोई हो	29.08.2026 अपराह्न 2 बजे से सायं 4 बजे तक	रु. 11,50,500/- रु. 1,15,050/- रु. 10,000/-

- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों के शीर्षक और सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के बारे में अपनी स्वतन्त्र जांच करनी चाहिए।
- उपर्युक्त सम्पत्तियों को ऊपर बताए गए आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
- बोलीदाताओं की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर पंजीकृत होना होगा और केवाईसी दस्तावेज सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपलोड करने होंगे। धरोहर राशि एनईएफटी के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में दिनांक 28.08.2026 सायं 4:00 बजे तक जमा की जाएगी। (<https://baanknet.com> से चालान जनरेट होने के बाद)
- अधिक जानकारी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सिकन्दरपुर के शाखा प्रबन्धक से मो. नं. 8303713905 पर सम्पर्क करें।
- सफल बोलीदाता को सुरक्षित सम्पत्तियों के पंजीकरण/हस्तांतरण के लिए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण, कर देयता आदि जैसे सभी आवश्यक खर्च वहन करने होंगे।
- नियम और शर्तें पूरी तरह से SARFAESI अधिनियम, नियम 2002 एवं बैंक की पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांक: 30.07.2026

जिला: देवरिया

प्राधिकृत अधिकारी: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया